<u>प्र0क0–1156/2023 उनवान एचडीएफसी विरूद्ध विनोद सिंह</u>

09.12.23 परिवादी बैंक की ओर से श्री संदीप दुबे अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र शीघ्र सुनवाई का प्रस्तुत किया गया।

प्रवर्तन लिपिक के द्वारा बताया गया है कि, मूल अभिलेख वर्तमान में अभिलेखागार में है। अतः मांग पत्र जारी किया जाये।

प्रकरण मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु कुछ समय पश्चात प्रस्तुत हो। हस्ता/–

(स्वाति निवेश जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर

<u>पुनश्च :–</u>

प्रकरण नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रं–29 ग्वालियर, में विधिवत् निराकरण हेतु प्रस्तुत।

परिवादी द्वारा/सहित श्री संदीप दुबे अधि. उप.।

मूल अभिलेख अभिलेखागार से प्राप्त।

प्रकरण को सी आई एस में रीवोक कराया जावे।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत हैं।

परिवादी द्वारा आवेदन पेश कर व्यक्त किया गया है कि, परिवादी बैंक का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। जिस कारण प्रकरण समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग/अरोपी होकर परिवादी बैंक की ओर उक्त आवेदन–पत्र के माध्यम से प्रश्नगत एस.आई. (चैक के समरूप व इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप) के संबंध में स्वेच्छयापूर्वक समझौता होना व्यक्त किया है और समझौता के अनुसार परिवादी बैंक ने प्रश्नगत एस.आई. में वर्णित संपूर्ण राशि प्राप्त कर लिया जाना व्यक्त किया है और इस प्रश्नगत चैक के संबंध में उभयपक्षों के मध्य कोई लेनदेन शेष नहीं है।

फलतः परिवादी बैंक की ओर से प्रस्तुत राजीनामा/शमन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और राजीनामा/ समझौता के आलोक में अभियुक्त को धारा 25 पेमेंट एण्ड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के आरोप/अभियोग से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में प्रश्नगत एस.आई. (चैक के समरूप व इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप) को प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है।

परिवादी द्वारा अदा किया गया न्यायालय शुल्क वापसी हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

अभियुक्त का स्थाई गिरफतारी वारंट अदम तामील वापिस बुलाया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाये।

SWATI NIVESH JAISWAL
Digitally signed by SWATI NIVESH JAISWAL
Date: 2023.12.09 16:43:31 +0530

(स्वाति निवेश जायसवाल)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्रमांक 29
जिला ग्वालियर

सदस्य,
खण्डपीठ क्र. 29
जिला ग्वालियर

सदस्य,
खण्डपीठ क्र. 29
जिला ग्वालियर